न्यायालय जिला कलक्टर, पाली

पीठासीन अधिकारी:: श्री एल.एन. मंत्री, आई.ए.एस

राजस्व अपील :: 46/2024

जीसीएमएस नम्बर :: 2024/212

अपीलाण्ट :–	बनाम	रेस्पोडेण्ट्स :–
अमरती पुत्री स्व. श्री धन्नाराम जाति पटेल निवासी ग्राम खाण्डी तहसील रोहट जिला पाली राजस्थान		1. मुकेश पुत्र गीगाराम जाति पटेल निवासी ग्राम खाण्डी तहसील रोहट जिला पाली 2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रोहट जिला पाली।

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राज. भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :– अपीलाण्ट की ओर से अधिवक्ता श्री जगदीश सिंह राजपुरोहित
रेस्पोडेण्ट 01 की ओर से अधिवक्ता श्री कानाराम सोलंकी

–:: नि र्ण य ::–

दिनांक :– **27.01.2025**

अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत तहसीलदार रोहट के नामान्तरकरण संख्या 456 दिनांक 16.12.2004 के विरूद्ध पेश की गई। अपील अपीलाण्ट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेण्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अपीलाण्ट की ओर से अधिवक्ता जगदीश सिंह राजपुरोहित व रेस्पो. संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री कानाराम सोलंकी वक्त बहस उपस्थित हुए। बहस उभयपक्षीय सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलाण्ट ने वक्त बहस अपने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि ग्राम खाण्डी पटवार हल्का खाण्डी भू अभिलेख निरीक्षक एवं तहसील रोहट जिला पाली मे खसरा संख्या 286 से खसरा संख्या 292 एवं खसरा संख्या 321 से खसरा संख्या 322 कुल रकबा 185 बीघा 13 बिस्वा प्रार्थी के पिता श्री गीगाराम के संयुक्त खातेदारी की आई हुई थी। प्रार्थी के पिता श्री धन्नाराम का देहान्त हो जाने से रेस्पोडेण्ट संख्या 1 के पिता गीगाराम ने सांठ गांठ करके झूठे तथ्य पेश करते हुए अपीलाण्ट के हिस्से की जमीन हड़पने की बदनियति से गीगाराम ने अपने पुत्र मुकेश को अपीलाण्ट के पिता धन्नाराम का पुत्र यानि अपीलाण्ट का भाई बताकर प्रशासन आप के द्वार अभियान 2004 के दौरान दिनांक 16.12.2004 को जैर नामान्तरकरण स्वीकृत करवा लिया जो फर्जी एवं कूटरचित होने से काबिले खारिज है। जैर नामान्तरकरण की कार्यवाही में सभी तथ्य झूठे प्रस्तुत किये गये है एवं स्व. धन्नाराम की एकमात्र वारिस अपीलाण्ट ही रही है एवं रेस्पो. संख्या 01 ने स्वयं को धन्नाराम का वारिस बताकर जैर नामान्तरकरण स्वीकृत करवाया है जो काबिले निरस्त है। अतः जैर नामान्तरकरण फर्जी व कूटरचित आधारों पर स्वीकृत किया गया जो निरस्त फरमावे।

अधिवक्ता रेस्पो. संख्या 01 ने अधिवक्ता अपीलाण्ट की बहस का खण्डन करते हुए निवेदन किया कि ग्राम खाण्डी पटवार हल्का खाण्डी तहसील रोहट में नारायण पुत्र देदा के कृषि भूमि आई हुई थी जिसके खसरा संख्या 286 से खसरा संख्या 292 एवं खसरा संख्या 321 से खसरा संख्या 322 कुल रकबा 185 बीघा 13 बिस्वा है। नारायण की मृत्यु के बाद उक्त खसरान् में उसके विधिक वारिसान पुत्र गीगाराम, धन्नाराम व पदमाराम तथा

जिला कलेक्टर, पाली

Scanned with ACE Scanner

पत्नी गैरी देवी के नाम विरासत का नामान्तरकरण स्वीकृत किया गया। अपीलाण्ट के पिता धन्नाराम की पत्नी अर्थात् अपीलाण्ट की मां श्रीमती मांगीदेवी का देहान्त दिनांक 04.07.1999 को हो गया। तब अपीलाण्ट के पिता धन्नाराम द्वारा अपने जीवनकाल में ही अपनी मृत्यु के बाद दिनांक 08.09.2003 को रेस्पो. संख्या 01 को पुत्र के रूप में गोद ले लिया एवं उक्त गोदनामा नोटेरी पब्लिक से तस्दीक करवा दिया था एवं इसी गोदनामे के आधार पर पिता धन्नाराम के फौत होने पर विरासत का नामान्तरकरण अपीलाण्ट व रेस्पो. संख्या 01 के नाम दर्ज किया गया जो विधिनुसार ही स्वीकृत किया गया है। अपीलाण्ट एवं रेस्पो. स्वयं सम्पूर्ण जैर आराजी का बेचान भी कर दिया गया है व अपीलाण्ट द्वारा उक्त सभी क्रेतागण को पक्षकार भी नहीं बनाया है जिससे उक्त अपील तथ्यों को छिपाकर प्रस्तुत की गई है। अतः जैर अपील मियाद बाहर, कूटरचित, फर्जी व अविधिक आधारों पर प्रस्तुत की गई जो सारहीन होने से सव्यय खारिज फरमावे।

प्रकरण में पेशसुदा रेकर्ड के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अपीलाण्ट द्वारा यह अपील विवादित नामान्तरकरण संख्या 456 दिनांक 16.12.2004 के विरूद्ध प्रस्तुत की है। प्रकरण में पत्रावली पर उपलब्ध अधिवक्ता रेस्पो. संख्या 01 द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दी का अध्ययन करने पर आश्चर्यजनक तथ्य यह सामने आया कि अपीलाण्ट एवं रेस्पो. संख्या 01 दोनों का नाम उक्त जमाबन्दी में बतौर खातेदार दर्ज नहीं है अर्थात् अपीलाण्ट एवं रेस्पो. संख्या 01 द्वारा अपने-अपने हिस्से की आराजी किसी अन्य व्यक्तियों को बेचान कर दी है। जिससे स्पष्ट होता है कि जैर नामान्तरकरण की अपीलाण्ट को सचेष्ट रूप से जानकारी जैर अपील के दर्ज होने से पूर्व भी थी। माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर ने अपने न्यायिक दृष्टान्त 2016-17 RRT 459 में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि एक बार पंजीबद्ध विक्रय-पत्र से सम्पति विक्रय करने के बाद विक्रेता के सारे अधिकार समाप्त हो जाते है। इस आधार पर जैर आराजी में अपीलाण्ट एवं रेस्पो. संख्या 01 का कोई स्वत्व निहित नहीं होने से उक्त अपील ab initio void होने से भी निरस्त योग्य है। इसके अतिरिक्त जैर आराजी का स्वयं अपीलाण्ट ने बेचान किया है, जिसकी अपीलाण्ट को जानकारी होते हुए भी जैर अपील सदाशयता के विरूद्ध तरीके से प्रस्तुत करने के लिए मात्र रेस्पो. संख्या 01 को ही पक्षकार बनाया है जबकि अपने ही द्वारा किये गये बेचान के क्रेतागण को पक्षकार संयोजित नहीं किया है। जिससे स्पष्ट होता है कि अपीलाण्ट न्यायालय हाजा के समक्ष स्वच्छ हाथों से पेश नहीं हुए है। अतः हम इस स्तर पर उक्त नामान्तरकरण को उपरोक्त वर्णितानुसार अवैद्य, कूट एवं फर्जी नहीं मान सकते तथा उपरोक्त वर्णन अनुसार अपीलाण्ट द्वारा अपीलाण्ट को उक्त नामान्तरकरण की जानकारी जैर अपील प्रस्तुत करने से पूर्व ही होने से मियाद कण्डोन किए जाने के कोई विधिक एवं तथ्यात्मक आधार नहीं पाते। अतएव अपीलाण्ट द्वारा वर्णित कथनों एवं उक्त वर्णित परिस्थितियों के दृष्टिगत मियाद को कण्डोन किए जाने के कोई तथ्यात्मक अथवा विधिक आधार जबकि मियाद सचेष्ट जानकारी की है, उसे कण्डोन किया जाना उचित नहीं समझते। अतः तहसीलदार रोहट द्वारा स्वीकृत ग्राम खाण्डी के विवादित नामान्तरकरण संख्या 456 दिनांक 16.12.2004 की यह अपील बेरून मियाद होने से खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक **27.01.2025** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर सरे इजलास सुनाया गया।

(एल.एन. मंत्री)
जिला कलक्टर, पाली
जिला कलेक्टर, पाली

न्यायालय जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)

Scanned with ACE Scanner